रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2016/फाल्गुन 4, 1937
No. 58] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2016/ PHALGUNA 4 , 1937

## संस्कृति मंत्रालय
## आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2016

**विषय :- प्रतिबंधित क्षेत्र में मरम्मत अथवा नवीकरण कार्य करने और विनियमित क्षेत्र में निर्माण कार्य अथवा पुनर्निर्माण कार्य अथवा मरम्मत कार्य अथवा नवीकरण कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया।**

**फा.सं. 1/3/2015-एम(एएसआई).**—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों अथवा संरक्षित क्षेत्रों के प्रतिबंधित अथवा विनियमित क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्यकलाप संचालित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होती है।

केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण कार्यकलाप संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार ने अनुमति के संबंध में ऑनलाइन आवेदन और निर्णय लेने की स्वचालित प्रणाली स्थापित की है और निम्नानुसार प्रतिबंधित तथा विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण कार्य संबंधी कार्यकलापों के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित की है।

1. इच्छुक व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में मरम्मत अथवा नवीकरण कार्य करने अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण कार्य करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन को एनएमए पोर्टल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके पश्चात यदि आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर न किए गए हों, तो इसकी हार्ड कॉपी भेज सकते हैं।

2. ऑनलाइन आवेदन प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उप-नियम तथा सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2011 के अंतर्गत यथा प्रकाशित प्रारूप में होना चाहिए और इसे निर्माण कार्यस्थल योजना, प्रस्तावित निर्माण कार्य योजना, सभी तल संबंधी योजनाओं, उत्थापन कार्य (एलीवेशन्स), अनुप्रस्थ काट (क्रॉस सेक्शन्स) तथा अन्य रेखाचित्रों की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सॉफ्ट कॉपी से समर्थित होना चाहिए। प्रस्तुत किए गए ऐसे रेखाचित्रों/योजनाओं को पंजीकृत अथवा योग्यता

प्राप्त अथवा लाइसेंस प्राप्त ऑर्किटेक्ट अथवा संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य तकनीकी व्यक्ति द्वारा सत्यापित कराना (डिजिटल तथा हॉर्ड कॉपी दोनों रूप में) भी आवश्यक है।

3. ऑनलाइन आवेदन को प्रस्तावित निर्माण कार्य के स्थल और अवस्थिति को विधिवत दर्शाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण अथवा वेबसाइट पर उपलब्ध उपग्रह स्थल मानचित्र से भी समर्थित करना होगा।

4. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय उल्लेखानुसार भुवन मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए अपनी योजना के भू-समकक्षों (जिओ-कॉर्डिनेट्स) को दर्ज तथा उल्लिखित किया जाएगा।

5. आवेदक द्वारा निकटतम स्मारक या स्थल के प्रतिबंधित या विनियमित क्षेत्र के संबंध में निर्माण या मरम्मत या पुनर्निर्माण या नवीकरण के लिए अपने भूखंड और आधारभूत योजना की वास्तविक स्थिति इंगित की जाएगी।

6. आवेदक द्वारा भवन सामग्री, उत्खनन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, मशीनरी के प्रयोग आदि जैसे निर्माण कार्य से संबंधित ब्यौरों का उल्लेख किया जाएगा।

7. आवेदक अपने स्वामित्व के लिए उसके द्वारा प्रदत्त डाटा/सूचना या निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अपने अधिकारों के लिए उत्तरदायी होगा और इस संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी सूचना वास्तविक मानी जाएगी और प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण कार्य से संबंधित कार्यकलापों के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए झूठी या गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करते हुए पाए जाने पर, आवेदक को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार कार्रवाई या जुर्माना, यदि कोई हो, तो इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा।

8. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति पर, कम्प्यूटर प्रोग्राम स्वत: ही एसएमएस तैयार करके इसे सक्षम प्राधिकारी को उनके निर्दिष्ट मोबाइल पर भेजेगा।

9. डाटाबेस और विरासत उप-नियमों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा और सॉफ्टवेयर यह भी निर्धारित करेगा कि क्या अनुरोध किया गया प्लॉट संरक्षित, प्रतिबंधित या विनियमित क्षेत्र में है या पूर्णत: इसके बाहर है और तद्नुसार आगे की कार्रवाई के लिए यह सुझाव देगा। निर्माण से संबंधित कार्यकलापों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

10. प्रतिबंधित क्षेत्र में आंशिक रूप से आने वाले तथा विनियमित क्षेत्रों में आंशिक रूप से आने वाले ऐसे भूखंडों के संबंध में आवेदनों पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा और तदनुसार इनकी जांच की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले स्थल योजना या मानचित्र में इस आशय की स्पष्ट स्थिति का उल्लेख किया जाएगा। ऐसे मामलों में, 72 घंटे की समय सीमा लागू नहीं होगी।

11. ऑनलाइन विरासत उप-नियमों और डाटाबेस में ऊंचाई, भवन के अग्रभाग, कलर स्कीम, प्रयुक्त सामग्री, निर्माण कार्य प्रणाली, उत्खनन तकनीक एवं प्रयुक्त मशीनरी, कंपन प्रभाव आदि जैसी शर्तों के साथ अस्वीकृति या अनुमति प्रदान करने संबंधी आधार का उल्लेख किया जाएगा।

12. सभी ऑनलाइन आवेदनों की कम्प्यूटर द्वारा जांच की जाएगी। यदि आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज अपेक्षित हैं तो, इसके लिए आवेदक को भेजने के लिए समय सीमा के साथ अतिरिक्त सूचना या दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए स्वत: ही एक अनुरोध तैयार किया जाएगा।

13. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी और 72 घंटे की समय-सीमा के भीतर आवेदन पर अंतिम अनुमोदन प्रदान करने या रद्द करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों से अवगत कराएगा। तथापि, यदि उप-नियम तैयार हैं और अनुमति प्रदान करने के लिए मानदंडों को सुपरिभाषित किया गया है और यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थलों के लिए विरासत उप-नियमों को समाहित करते हुए कम्प्यूटर प्रोग्राम में कार्रवाई प्रक्रिया की पूर्व जांच और पूर्व

पुनरीक्षा की गई है और इस संबंध में प्रमाणित किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की जांच कम्प्यूटर द्वारा स्वत: ही की जाएगी और दस्तावेजों की मैनुअल जांच समाप्त की जाएगी। यह मैनुअल प्रणाली से स्वचालित प्रणाली की ओर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अधिकार के समान होगा। कम्प्यूटर प्रोग्राम केवल अवलोकन के लिए 'अनुमति का प्रारूप'' तैयार करेगा।

14. यदि सक्षम प्राधिकारी 72 घंटे की अवधि के बाद ''अनुमति का प्रारूप'' या ''अनंतिम अनुमति'' पर रोक लगाने की इच्छा रखते हैं, तो वे इसके लिए कारणों का उल्लेख करते हुए और इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए कर सकते हैं। एकबारगी रोक केवल 72 घंटों के लिए होगा और यदि वे 72 घंटे के बाद रोकने की इच्छा रखते हैं, तो इस संबंध में कारणों का उल्लेख करते हुए इसे पुनर्विचार के लिए रख सकते हैं।कार्रवाई संबंधी कारणों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

15. ऐसे सभी मामलों पर सांविधिक अपेक्षानुसार राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा इसकी बैठक में अंतिम रूप से जांच की जाएगी और अनुमति प्रदान करने की सिफारिश अथवा सिफारिश न करने के संबंध में विरासत उप-नियमों एवं अन्य शर्तों, यदि कोई हो,के अनुरूप प्रतिबंधों की संपुष्टि करते हुए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। इस प्रक्रिया को 72 घंटे की समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। 72 घंटे की समय-सीमा अनिवार्य नहीं है। यह वांछनीय होगी और आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाएगी।

16. यदि''अनुमति का प्रारूप'' या ''अनंतिम अनुमति'' पर किंचित अथवा अन्य कारण से 72 घंटे की अवधि के बाद रोक लगाई जाती है, तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण पोर्टल पर तत्संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए एक समय में 72 घंटे की अवधि के लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 72 घंटे के बाद और आगे आवेदन पर रोक लगाना चाहते हैं तो वे इसके कारणों का उल्लेख करते हुए इसे पुनर्विचार के लिए रख सकते हैं। कार्रवाई संबंधी कारणों पर सदस्य सचिव, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

17. यदि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण आवेदन में प्रस्तुत प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे इसके लिए आधारों का उल्लेख करते हुए अस्वीकृत कर सकते हैं और ऐसे मामलों में आवेदक को नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

18. बड़ी परियोजनाएं अनुमति प्रदान करने की इस ऑनलाइन प्रणाली के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। बड़ी परियोजना के संबंध में उल्लेख परियोजना द्वारा कवर किए गए क्षेत्र और प्रभाव डालने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर किया जाएगा जिन्हें एनएमए की पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं पर अनुमति प्रदान करने के लिए परियोजना पर विचार करते समय एनएमए की जांच के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।

19. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य की अवस्थिति, योजना, ऊंचाई, शर्तों आदि का उल्लेख करते हुए स्थल योजना पर विचार करते समय कम्प्यूटर द्वारा इस संबंध में तैयार की गई ऑनलाइन अनुमति की पुष्टि की जाएगी।

20. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की ऑनलाइन सिफारिश में स्थल योजना, ऊंचाई, तल संबंधी योजना आदि की भी पुष्टि की जाएगी। सभी दस्तावेजों पर कम्प्यूटर द्वारा तैयार वॉटर मार्क और विशिष्ट कोड तथा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि इसकी प्रामाणिकता के साथ-साथ कार्य निष्पादन में किसी भी विचलन का पता लगाया जा सके।

21. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से सिफारिश की प्राप्ति पर, संबंधित सक्षम प्राधिकरण द्वारा आवेदक को अनुमति के संबंध में ऑनलाइन सूचित किया जाएगा जिसमें अनुमति पत्र के भाग में पुन: प्रस्तुत किए गए स्थल योजना पर निर्माण कार्य की अवस्थिति का सम्यक उल्लेख किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम्प्यूटर को इस आशय का आदेश दिया जाएगा ताकि ''अनुमति का प्रारूप'' या ''अनंतिम अनुमति'' को ''अनुमति'' में परिवर्तित किया जा सके और आवेदक इसका प्रिंट आउट ले सके।

22 चूंकि कम्प्यूटर प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा विहित स्मारक विशिष्ट विरासत उप-नियमों में सभी संबंधित विषयों तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के मार्गदर्शन को शामिल किया जाएगा और लोगों के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने से पहले इसके अनुपालन को पूर्ण रूप से जांचा जाएगा अत: यह राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से पूर्व परामर्श करने संबंधी मामला है, जिसे पहले ही कर लिया गया है और इसलिए यह ऑटोमेटिड प्रणाली राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थल विशिष्ट सिफारिशों को विनियमित क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्तावों के साथ विलयित करेगी। अब इसका नियंत्रण सक्षम प्राधिकारी के लिए विकसित ऑटोमेटिड प्रणाली को स्वत: अंतरित हो जाएगा, जो निर्धारित शर्तों के साथ स्वचालित रूप से अनुमति प्रदान करेंगे। यह अनुमति पोर्टल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी, जहां से इसे आवेदक द्वारा इसे डाउनलोड किया जा सकेगा।

23. लोगों के लिए आवेदन और विभिन्न निर्णयों/सिफारिशों के बारे में संपूर्ण जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अनुमति के प्रिंट-आउट में भुवन एप्लीकेशन द्वारा यथा प्रदर्शित विनियमित क्षेत्र में स्थल मानचित्र और भूखंड की अवस्थिति अनिवार्य रूप से शामिल होगी।

24. एनएमए में सक्षम प्राधिकारी अनुमति प्रदान करने की ऑटोमेटिड संचालन प्रक्रिया के कम्प्यूटर प्रोग्राम को किसी भी समय रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसा करने के कारणों को दर्ज करना होगा और दिए गए कारणों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करना होगा। रोकी गई प्रक्रियाओं को भी उनके कारणों सहित लोगों को प्रदर्शित करने के लिए पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। ऑटोमेटिड प्रक्रिया के इस प्रकार रोकने के संबंध में 'हां/ना' निर्णय लेने के लिए समय-सीमा तीन कार्य दिवसों की अवधि होगी। इस अवधि के दौरान प्रक्रिया रोकने वाले प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर ऑटोमेटिड प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तथापि, प्रदान की जाने वाली अनुमति में कम्प्यूटर द्वारा समस्त रोक और आशंकाओं को भी दर्ज किया जाएगा।

25. ''अनुमति का प्रारूप'' या ''अनंतिम अनुमति'' को सिस्टम पर तुरन्त प्रदर्शित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होगी ताकि वे अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन की आगे की प्रक्रिया को रोक सकें। यदि वे आवेदन अथवा प्रक्रिया में कोई गलती पाते हैं तो ''अनुमति का प्रारूप'' या ''अनंतिम अनुमति'' को रोक दिया जाएगा। यदि 72 घंटे के भीतर कोई गलती नहीं पाई जाती है, तो ''अनुमति का प्रारूप'' या ''अनंतिम अनुमति'' सिस्टम द्वारा अंतिम अनुमति पत्र में स्वत: परिवर्तित कर दी जाएगी और यह आवेदक द्वारा सिस्टम से सीधे डाउनलोड/मुद्रित करने के लिए उपलब्ध होगी। यद्यपि एनएमए दिशा-निर्देशों में अनुमति जारी करने के लिए 90 दिनों का उपबंध दिया गया है, तथापि, स्व आरोपित अनुशासन तथा लोक कर्तव्य की भावना के रूप में, सीए तथा एनएमए दोनों को अनुमति जारी करने में तीन दिनों की समय-सीमा का पालन करना चाहिए।

पंकज राग, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CULTURE**

**ORDER**

New Delhi, the 5th February, 2016

**Subject: Procedure for Grant of permission in respect of online application for undertaking repairs or renovation in prohibited area and construction or reconstruction or repairs or renovation in regulated area.**

**F. No. 1/3/2015-M(ASI).—** As per the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, permission from Competent Authority on recommendation of the National Monuments Authority (NMA) is required to undertake construction related activities within prohibited and regulated area of a centrally protected monument or protected area.

With a view to simplifying the procedure for grant of permissions for construction related activities within prohibited and regulated areas of centrally protected monuments/sites the Central Government

establishes a system for online application and automated system of decision regarding permission and prescribes the procedure to be adopted for grant of permission for construction related activities within prohibited and regulated areas as under.

1. Interested person may submit an application for grant of permissions for undertaking repairs or renovation in prohibited area and for construction or reconstruction or repairs or renovation within regulated area to the Competent Authority online through NMA Portal and may send the Hard copy thereafter, if the application is not digitally signed.

2. The online application may be in the format as published under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 and supported with digitally signed soft copies of plan of construction site, plan of proposed construction, all floor plans, elevations, cross sections and other drawings. Drawings/plans submitted so shall also requires to be attested (both digitally and in hard copy) by registered or qualified or licensed architect or any other technical person in the concerned field.

3. The online application shall also be supported with Satellite Site Map as available on Archaeological Survey of India/National Monuments Authority portal or website, duly indicating site and location of proposed construction.

4. The applicant shall record and mention Geo-coordinates of his plot as indicated by using Bhuwan Mobile App. while submitting online application.

5. The applicant shall indicate factual position of his plot and ground plan for construction or repairs or reconstruction or renovation, with respect to prohibited or regulated area of the nearest monument or site.

6. The applicant shall specify details related to construction such as building material, methodology to be adopted for excavation, use of machinery, etc.

7. The applicant shall be responsible for data/information provided by him for his ownership or powers to undertake construction and submit an application to that effect. All information submitted by the applicant shall be considered factual and in case it founds false or distorting, or submitting misleading information to obtain grant of permission for construction related activities within prohibited and regulated areas, the applicant shall be held responsible for action or penalty, if any as per the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. The applicant shall furnish such undertaking while submitting online application.

8. On receipt of online application through the portal, the computer programme shall automatically generate and send a SMS to the Competent Authority on his designated mobile.

9. The database and Heritage Bye-laws would be available online and the software shall also determine if the requested plot is within protected, prohibited or in regulated area or totally outside it and accordingly suggest flow for further processing. All the applications for grant of NOC for construction related activities shall be processed accordingly.

10. Applications with regard to such plots falling partly in prohibited area and partly in regulated areas shall be given special attention by the National Monuments Authority and examined accordingly. Applicant shall specify clear position to that effect in site plan or map to be attached with the application. In such cases, the time limit of 72 hours will not apply.

11. The online Heritage Bye-laws, and database shall indicate the ground for rejection or permission with conditions such as height, façade of the building, color scheme, material to be used, methodology for construction, excavation techniques & machinery to be used, vibration effect, etc.

12. All the online applications shall be examined by the Computer. If any additional information or documents is required from the applicant, a request shall be generated automatically for submission of additional information or documents along with a timeline to the applicant to do so.

13. The Competent Authority shall monitor the whole process and communicate his observations / recommendations to the National Monuments Authority for final approval, or cancel the application within the time frame of 72 hours. However, if the Bye-laws are prepared and parameters for grants of permission are well defined and if the process flow of the computer programmed incorporating the Heritage Bye-Laws for the specified sites has been pre-examined and pre-vetted by the Competent Authority and certified to that effect, the examination of the application by the Competent Authority will be done automatically by the computer and manual examination of documents shall be dispensed with. It will be akin to delegation of authority by the Competent Authority from manual system to automated system. The computer programme shall generate "Draft Permission" for viewing only.

14. If Competent Authority intends to hold the "Draft Permission" or "Provisional Permission" beyond the period of 72 hours, he may do so by citing reasons for the same and making it available online. One hold would be for only 72 hours and if he intend to hold beyond 72 hours, the same is to be put on re-hold by citing reasons therefore. The reasons for the action, shall have to be digitally signed by the Competent Authority.

15. All such cases shall be finally examined by the National Monuments Authority in its meeting as per the statutory requirement and recommend grant of permission or not-recommend and inform to concerned Competent Authority confirming restrictions as per the Heritage Bye-laws and other conditions, if any. The process shall be completed within the time frame of 72 hours. The time frame of 72 hours is not a mandatory one. It would be desirable and to be adopted by the National Monuments Authority and Competent Authority for speedy disposal of the applications.

16. If the "Draft Permission" or "Provisional Permission" is to be put on hold beyond the period of 72 hours, for some or other reason, the National Monuments Authority may do so for the period of 72 hours at one instance by indicating reasons thereof on portal. If NMA intend to hold the application further beyond 72 hours, the same is to be put on re-hold by citing reasons so. The reasons for the actions, shall have to be digitally signed by the Member Secretary, National Monuments Authority.

17. If the National Monuments Authority is not satisfied with the proposal submitted in the application, it may be rejected stating grounds for the same and in such cases the applicant shall have liberty to apply a fresh.

18. Large projects are outside the purview of this online system of grant of permissions. What constitute large project shall be defined on the basis of area covered by the project and other impacting parameters which shall be made available on NMA portal/web site. Such projects need impact assessment study for examination of NMA while considering the project for permission.

19. The National Monuments Authority shall confirm the online permission so generated by the Computer considering site plan indicating location of construction, plan, elevation, conditions, etc.

20. The online recommendation of the National Monuments Authority shall also confirm the site plan, elevation, floor plans, etc. By computerized generated water mark and unique code and digital signature on all documents to mark its authenticity and to tap any deviation in execution.

21. On receipt of recommendation from the National Monuments Authority, the concerned Competent Authority shall communicate permission to the applicant, online duly indicating location of the construction on site plan reproduced on the body of permission letter. Competent Authority shall issue a command to that effect to the computer so that the "Draft Permission or "Provisional Permission" is converted into "Permission" and the applicant could take printout of the same.

22. Since all concerned and guidance of the National Monuments Authority (NMA) would be incorporated in the Monument specific Heritage Bye-laws prescribed by them for the computer programme and adherence to it would have been thoroughly checked before the online system gets opened to the public, it would be a case of prior consultation from National Monuments Authority having been done already and hence the automated system would merge the site specific recommendations of National Monuments Authority to the proposal seeking approval of construction activity within the regulated area. Control would then automatically shift to the

automated system developed for the Competent Authority who would then automatically grant permission with stipulated conditions. This permission would be made available on the Portal itself from where it may be downloaded by the applicant.

23. The entire information about the application and various decisions/recommendations would be available for public viewing on the Portal. The printout of the permission would necessarily include the site map and location of the plot in the regulated area as shown by the Bhuvan application.

24. The Competent Authority in NMA will stop in the computer programme the automated flow process of granting permission at any point of time while recording the reasons for doing so and digitally signing the reasons so given. The stopped processes shall also be displayed on the portal along with reasons, for public viewing. The timelines for 'yes/no' decision for every such stoppage of the automated process would be made within a period of three working days, during which the final decision should be taken by the Authority stopping the process, failing which the automated process would commence. However, in the permission to be granted, all the stoppages and apprehensions would also be recorded by the computer.

25. The "Draft Permission" or "Provisional Permission" would be displayed on the system immediately, which would be available for viewing by National Monuments Authority and other Competent Authorities so that they could stop further processing of discharging their statutory duties. If they found anything amiss in the application or processing, the "Draft Permission" or "Provisional Permission" shall be put on the Hold. If nothing amiss is found within 72 hours, the "Draft Permission or "Provisional Permission" would automatically be converted into final permission letter by the system and will be available for downloading/printing by the applicant directly from the system. Even though ninety days clause for issuing permissions is available in NMA guidelines, as a self-imposed discipline and in a spirit of public duty, CAs and NMA should both adhere to the three days limit in issuing permissions.

PANKAJ RAG, Jt. Secy.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.